



पत्रांक-आर/जीएडी/विविध/150/

दिनांक -06 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

अति-आवश्यक/महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा शुरू की गई "स्वच्छता ही सेवा अभियान" के अन्तर्गत एकल इस्तेमाल की प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं जैसे प्लास्टिक ग्लास, बोतल, कैरी बैग आदि अन्य वस्तुओं का उपयोग प्रतिबंधित है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त अभियान के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय परिसर में भी प्लास्टिक ग्लास, बोतल, कैरी बैग आदि अन्य वस्तुओं के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

1. विश्वविद्यालय परिसर में निवास करने वाले समस्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य परिसर निवासियों से निवेदन किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय परिसर में प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक की बोतलों एवं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से बने अन्य सभी समानों का उपयोग न करें साथ ही अपने निवास स्थान पर भी इन वस्तुओं के इस्तेमाल को बंद करें।
2. विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं से भी निवेदन है कि परिसर को एकल इस्तेमाल प्लास्टिक निर्मित सामग्री से मुक्त करने एवं "स्वच्छता ही सेवा अभियान" को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा इन वस्तुओं को अपने घरों में भी उपयोग न करने के लिए प्लास्टिक विरोधी अभियान का प्रसार करें और यह सुनिश्चित करें कि घरों को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया जा सके।
3. विश्वविद्यालयों के समस्त संस्थानों के निदेशक/संकाय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/इकाई प्रमुख से निवेदन है कि अपने संस्थान/संकाय/विभाग/इकाई में इस निमित्त उचित स्थानों पर सूचना पट्ट लगाने की कृपा करें ताकि सभी लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े और लोग इसका पालन करें।

विश्वविद्यालय परिसर को एकल इस्तेमाल प्लास्टिक निर्मित सामग्री से मुक्त करने में विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।



संयुक्त कुलसचिव
(सामान्य प्रशासन)
यादव
06-08-19

